



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## एक टॉप-10 सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 3 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांक 08.06.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

दिये गये निर्देश के क्रम में थाना महोली, रामकोट व रामपुर कलां की पुलिस टीमों द्वारा चेकिंग के दौरान एक टॉप 10 सहित कुल 02 अभियुक्तों को 03 अवैध शस्त्र व 03 कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्नवत् है-

1. थाना महोली द्वारा अवैध शस्त्र सहित टॉप 10 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान टॉप 10 अपराधी उस्मान पुत्र इब्राहिम उर्फ मुजाहिम निवासी मस्जिद बाजार थाना महोली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके पास से एक अदद अवैध शस्त्र व एक कारतूस बरामद हुआ है। उक्त संबंध में मु0अ0सं0 298/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उस्मान थाना महोली का टॉप 10 अपराधी भी है।

### आपराधिक इतिहास टॉप 10 अभियुक्त उस्मान -

1. मु0अ0सं0 304/21 धारा 420/313/414/467/468/471/411 भादवि थाना महोली सीतापुर
2. मु0अ0सं0 389/20212 धारा 2/3 यूपी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महोली सीतापुर
2. थाना रामकोट द्वारा अवैध तमंचा कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रतन शुक्ला पुत्र रमाकान्त शुक्ला निवासी मोहल्ला रन्पूर थाना मिश्रित जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 278/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।
3. थाना रामपुर कलां द्वारा अवैध तमंचा कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना रामपुर कलां पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त गुडडू पुत्र लक्ष्मण निवासी गंगापुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामद

अवैध शस्त्र के संबंध में मु0अ0सं0 154/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।



